दिल्ली में संकट बनी हवा

प्रमोद भार्गव

कई दिनों से दिल्ली में छाई धुंध और धुएं ने कई चिंताजनक सवाल छोड़े हैं। औद्योगिक विकास, बढ़ता शहरीकरण और उपभोगवादी संस्कृति आधुनिक विकास के वे लक्षण हैं जो हवा, पानी और मिट्टी को एक साथ प्रदूषित करते हुए मनुष्य समेत समूचे जीव-जगत को संकटग्रस्त बना रहे हैं।

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्दे नज़र राष्ट्रीय हरित ट्रायबूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए समस्या का हल ढूंढने की सलाह दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली अब एक गैस चैंबर में बदलती जा रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस समस्या पर तात्कालिक हल के लिए तीन नीतिगत फैसले लिए हैं। एक, दिल्ली का ताप विद्युत बिजली घर बंद कर दिया जाएगा। दो, वाहनों के लिए यूरो-6 मानक लागू होगा और तीसरा, एक दिन सम और दूसरे दिन विषम नंबरों के ही वाहन सड़कों पर उतरेंगे। यह फैसला 1 जनवरी 2016 से लागू होना है।

भारत में औद्योगीकरण की रफ्तार भूमण्डलीकरण के बाद तेज़ हुई। एक तरफ प्राकृतिक संपदा का दोहन बढ़ा तो दूसरी तरफ औद्योगिक कचरे में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। लिहाज़ा दिल्ली में जब शीत ऋतु ने दस्तक दी तो वायुमण्डल में धूल और धुएं के बारीक कणों का कोहरा छा गया। मौसम विज्ञानी इसकी तात्कालिक वजह पंजाब एवं हरियाणा के खेतों में जलाए जा रहे फसल के डंठल बता रहे हैं। यदि वास्तव में इसी आग से निकला धुंआ दिल्ली में छाए कोहरे का कारण होता तो यह स्थिति चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना और जालंधर जैसे बड़े शहरों में भी दिखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दिखी।

अलबत्ता इसकी मुख्य वजह हवा में लगातार प्रदूषक तत्वों का बढ़ना है। दरअसल मौसम गरम होने पर जो धूल और धुएं के कण आसमान में कुछ ऊपर उठ जाते है, वे सर्दी बढ़ने के साथ-साथ नीचे खिसक आते हैं। दिल्ली में बढ़ते वाहन और उनकी वजह से पैदा होता धुंआ और सड़क से उड़ती धूल अंधियारे की इस परत को और गहरा बना देते हैं।

इस प्रदूषण के लिए बढ़ते वाहन कितने दोषी हैं, इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि हाल ही में दिल्ली में 'कार मुक्त दिवस' आयोजित किया गया था। उस दिन वायु प्रदूषण करीब 26 प्रतिशत कम हो गया था। इससे पता चलता है कि दिल्ली में कारों को नियंत्रित कर दिया जाए तो प्रदूषण काफी कम हो सकता है। इस नाते सम-विषम संख्या वाली कारों को सड़कों पर उतारने का फैसला कारगर साबित होगा।

किंतु विडंबना है कि एनजीटी दिल्ली में इस प्रदूषण का कारण उन 80 हज़ार ट्रकों को मान रहा है, जो दिल्ली में अनाज, फल-सब्ज़ी, मांस और अन्य ज़रूरी चीज़ें बाज़ारों तक पहुंचाते हैं। एनजीटी की सलाह है कि इन ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। यदि ट्रकों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो ये ट्रक दिल्ली से सटी हरियाणा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश की सीमा पर माल उतारेंगे। और फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उतारे गए इस सामान को छोटे वाहनों से दिल्ली के बाज़ारों में पहुंचाया जाएगा। समस्या जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि जो माल 80 हज़ार ट्रकों से दिल्ली के भीतर आता है, उसे दिल्ली की सीमाओं से करीब 4 लाख छोटे वाहन लादकर दिल्ली लाएंगे। इससे प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा इसका तकनीकी आकलन कराने की ज़रूरत है। ट्रकों पर प्रतिबंध अपनी समस्या को दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित करने जैसा ही होगा।

दिल्ली में इस वक्त वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों की मात्रा मानक से 60 गुना ज़्यादा हो गई है। इस वजह से लोगों में गले, फेफड़ों और आंखों की तकलीफ बढ़ जाती है। कई लोग मानसिक अवसाद की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। वैसे हवा में घुलता ज़हर महानगरों में ही नहीं छोटे नगरों में भी प्रदूषण का सबब बन रहा है। कार-बाज़ार ने इसे भयावह बनाया है। यही कारण है कि लखनऊ, कानपुर, अमृतसर, इंदौर और अहमदाबाद जैसे शहरों में प्रदूषण खतरनाक सीमा लांघने को तत्पर है। उद्योगों से निकलता धुआं और खेतों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक व इलेक्ट्रॉनिक कचरा जलाने से भी दिल्ली की हवा में ज़हरीले तत्वों की सांद्रता बढ़ी है। इस कारण दिल्ली दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शमिल है। वैसे भी दुनिया के जो 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं, उनमें भारत के 13 शहर शामिल हैं।

बढ़ते वाहनों के चलते वायु प्रदूषण की समस्या दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में भयावह होती जा रही है। मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के लगभग सभी छोटे शहर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। डीज़ल व घासलेट से चलने वाले वाहनों व सिंचाई पंपों ने इस समस्या को और विकराल रूप दे दिया है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड देश के 121 शहरों में वायु प्रदूषण का आकलन करता है। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक देवास, कोझिकोड व तिरुपति जैसे अपवादों को छोड़कर बाकी सभी शहरों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में दिख रहा है। इस प्रदूषण की मुख्य वजह तथाकथित वाहन क्रांति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि डीज़ल और घासलेट से पैदा होने वाले प्रदूषण से ही दिल्ली में एक तिहाई बच्चे सांस की बीमारी की गिरफ्त में हैं। इस खतरनाक हालात से वाकिफ होने के बावजूद दिल्ली व अन्य राज्य सरकारें ऐसी नीतियां अपना रही हैं, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किए बिना औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता रहे। यही कारण है कि डीज़ल वाहनों का चलन लगातार बढ़ रहा है। आवासीय बस्तियों, बाज़ारों, दुकानों और दफ्तरों व बैंकों में लगे जनरेटर भी हवा को और ज़्यादा ज़हरीला बनाने में मदद कर रहे हैं।

जिस गुजरात को हम आधुनिक विकास का मॉडल मानकर चल रहे हैं, वहां भी प्रदूषण के हालात भयावह हैं। कुछ समय पहले टाइम पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के चार प्रमुख प्रदूषित शहरों में गुजरात का वापी शहर शामिल है। इस नगर में 400 किलोमीटर लंबी औद्योगिक पट्टी है। इन उद्योगों में कामगार और वापी के रहवासी कथित औद्योगिक विकास की बड़ी कीमत चुका रहे हैं। वापी के भूजल में पारे की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों से 96 प्रतिशत ज़्यादा है। यहां की वायु में धातुओं का संदूषण जारी है, जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। कमोबेश ऐसे ही हालात अंकलेश्वर बंदरगाह के हैं। यहां दुनिया के अनुपयोगी जहाज़ों को तोड़कर नष्ट किया जाता है। इन जहाज़ों में विषाक्त कचरा भी भरा होता है, जो मुफ्त में भारत को निर्यात किया जाता है। इनमें ज़्यादातर सोड़ा की राख, एसिडयुक्त बैटरियां और तमाम किस्म के घातक रसायन होते हैं। प्रदूषित कारोबार पर शीर्ष न्यायालय के निर्देश भी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में विश्व व्यापार संगठन के दबाव में प्रदूषित कचरा भी आयात हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन के मंत्रियों की बैठक में भारत पर दबाव बनाने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया है कि भारत विकसित देशों द्वारा पुनर्निर्मित वस्तुओं और उनके अपशिष्टों के निर्यात की कानूनी सुविधा दे।

विडंबना यह है कि जो देश भोपाल में हुई यूनियन कार्बाइड के औद्योगिक कचरे को 30 साल बाद भी ठिकाने नहीं लगा पाया, वह दुनिया के औद्योगिक कचरे को आयात करने की छूट दे रहा है। यूनियन कार्बाइड परिसर में आज भी 346 टन कचरा पड़ा है, जो हवा-पानी में ज़हर घोल रहा है। इस कचरे को नष्ट करने का ठिकाना मध्यप्रदेश सरकार को नहीं मिल रहा है। दुनिया की इस सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में 5295 लोगों की मौतें हुईं थीं और लाखों लोग लाइलाज बीमारियों के शिकार हो गए थे। ये लोग आज भी इस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***